न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलडा (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 49 / 2024
दायर दिनांक : 05 / 08 / 2024
निर्णय दिनांक : 16 / 12 / 2024

उनवान

1. राजापुरी पिता चंद्रपुरी गोस्वामी गुसाई निवासी बालदियों का खेडा तहसील भूपालसागर
2. मोहनपुरी पिता चंद्रपुरी गोस्वामी गुसाई निवासी बालदियों का खेडा तहसील भूपालसागर
3. प्रकाशपुरी पिता चंद्रपुरी गोस्वामी गुसाई निवासी बालदियों का खेडा तहसील भूपालसागर

प्रार्थीगण

बनाम

1. रमेश पिता गोपीलाल बंजारा निवासी पारी का खेडा तहसील भूपालसागर
2. रोशन पिता भेरा बंजारा निवासी पारीं का खेडा तहसील भूपालसागर
3. नाथु पिता गोदा बंजारा निवासी पारी का खेडा तहसील भूपालसागर
4. सुखा पिता जस्सा बंजारा निवासी पारी का खेडा तहसील भूपालसागर
5. सुवाबाई पत्नी बंशीलाल बंजारा निवासी पारी का खेडा तहसील भूपालसागर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

: निर्णय :

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी की जाने हेतु इस न्यायालय में
प्रस्तुत किया। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार प्रार्थीगण रेकार्डेड खातेदार है।
अतः प्रार्थना पत्र व रेकार्ड के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी
का स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार भूपालसागर को 500– रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर
आदेशित किया जाता है कि **ग्राम** बालदियों का खेडा **प0 ह0** पारी **तहसील भूपालसागर के हल्के बैरूनी के**
प्रार्थीगण के खातेदारी के हाल खाता संख्या 162 की आराजी न0 597 रकबा 0.32 है0, आराजी न0
600 रकबा 0.18 है0 आराजी न0 602 रकबा 0.20 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.70 है0 तथा खाता
सं 161 के आ0स0 593 रकबा 0.52 है0 आ0स0 594 रकबा 0.63 है0 आ0स0 595 रकबा 0.44 है0
आ0स0 596 रकबा 0.05 है0 आ0स0 598 रकबा 0.20 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 1.84 है0 भूमि में
उभयपक्षकारान को जरिये समन नोटिस तलब करवाकर अपने नेतृत्व में सीमांकन की टीम गठित कर चारों दिशाओं
की पुख्ता पत्थरगढी की कार्यवाही करे। अगर मौके पर कोई विवाद न हो अथवा मौके पर फसल खड़ी न हो तो ही
पत्थरगढी की जावे एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे। कमिश्नर
फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करे साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन
नहीं हो। इस आशय बाबत तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] दाखिल दफतर हो।
निर्णय आज दिनांक **16.12.2024** को खुले न्यायालय में सुनवाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Punit Kumar Gelra
Date: 2025.03.18 17:28:36 IST
Reason: SelfAttested

(पुनीत कुमार गेलडा)
सहायक कलेक्टर व
उपखण्ड अधिकारी,
भूपालसागर